कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–वित्त / बजट) मध्यप्रदेश,
प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल, 462004

क्रमांक / कक्ष–03 / बजट–1 / एफ– / 2017 / 2345 भोपाल, दिनांक 22/8/17

प्रति,

समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी
मध्य प्रदेश।

विषयः–वेटकर के भुगतान के संबंध में।

– 0 –

आप सभी इस तथ्य से अवगत है कि दिनांक 30.06.2017 तक राज्य शासन द्वारा अधिरोपित वेटकर लागू था। दिनांक 01.07.2017 से केन्द्र शासन द्वारा सभी राज्यों में जी.एस.टी लागू कर दिया गया है।

2. विभाग के कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारी अभी भी मुख्यालय से वेटकर राशि के भुगतान के लिये बजट की मांग करते है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 30.06.2017 के पूर्व नीलाम की गई लकड़ी पर ही वेटकर देय होगा तथा इसी वेटकर भुगतान के लिये मुख्यालय द्वारा आपकी मांग के आधार पर बजट दिया जायेगा। यह व्यवस्था इसलिये लागू थी क्योकि क्रेता लकड़ी खरीदी के साथ–साथ वेटकर की राशि भी वन विभाग के राजस्व हेड में जमा करता था तथा वनमंडलाधिकारी मुख्यालय से प्राप्त बजट के आधार पर वेटकर की राशि वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान करते थे।

3. अतः केवल दिनांक 30.06.2017 के पूर्व नीलामी की गई लकडी पर ही वेट के भुगतान हेतु बजट आवंटन किया जायेगा। यदि नीलामी की प्रक्रिया दिनांक 30.06.2017 के पूर्व हुई है परन्तु कार्य आदेश दिनांक 01.07.2017 या उसके बाद जारी किये गये हो तब वेटकर न लगाकर जी.एस.टी. लागू होगा।

4. जी.एस.टी. के लिये मुख्यालय द्वारा कोई बजट आवंटित नही किया जायेगा। जी.एस.टी. की राशि सीधे केन्द्र शासन के निर्धारित हेड में बुक की जाये।

5. यह भी स्प्ष्ट किया जाता है कि जी.एस.टी. लागू हो जाने के पश्चात आपके कार्यालय की कोई भी खरीदी चाहे वह उद्देश्य शीर्ष 22–008 अन्य आकस्मिक व्यय या 51–अन्य प्रभार अथवा अन्य कोई भी बजट हेड से सामग्री क्रय की जाती है तो भुगतान नगद ना किया जाकर ऑनलाईन पेमेंट ही किया जाये।

6. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। वित्त / बजट शाखा द्वारा किये जाने आपके वनमंडल के आंतरिक लेखा परीक्षण के दौरान उपरोक्त तथ्यों का भी नियमित परीक्षण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि भुगतान ऑनलाईन ना किया जाकर नगद किया गया है तो संबंधित जिम्मेदार

वनमंडलाधिकारी/रेंज ऑफिसर के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता की कार्यवाही की जायेगी।

[प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित]

22/8/17

(अशोक भाटिया)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.कमांक/कक्ष–03/बजट–1/एफ– /2017/2346 भोपाल, दिनांक 22/8/17

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त म0प्र0।

की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वृत्त अंतर्गत आने वाले समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से उक्त निर्देश का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

[प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित]

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल